8

क्रॉस-डिसेबिलिटी, प्रारंभिक हस्तक्षेप और विद्यालय तत्परता पाठ्यक्रम रूपरेखा की जागरूकता और कार्यान्वयन

विकास त्रिवेदी*

प्रस्तुत अध्ययन भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षकों के बीच क्रॉस-डिसेबिलिटी समावेशन, प्रारंभिक हस्तक्षेप, तथा विद्यालय तत्परता संबंधी पाठ्यचर्या ढाँचों जैसे—पहल, निपुण समावेशी और पंचकोश के प्रति जागरूकता और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि इन राष्ट्रीय पहलों की वास्तविक पहुँच और प्रभाव शिक्षकों के शिक्षण व्यवहार में किस सीमा तक परिलक्षित होते हैं। शोध में 1175 प्रतिभागियों को शामिल किया गया, जिनका चयन उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन विधि द्वारा किया गया। इन प्रतिभागियों में विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमियों और अनुभव स्तर वाले वे शिक्षक सम्मिलित थे, जो प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षण और बाल विकास के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। डेटा संग्रह हेतु एक स्वविकसित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया, जिसकी विषयवस्तु वैधता विशेषज्ञों की समीक्षाओं के आधार पर सुनिश्चित की गई। इसके लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया, जिससे मापदंडों की प्रासंगिकता और शोध उद्देश्यों के अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके। प्राथमिक निष्कर्षों से यह संकेत मिलता है कि अधिकांश शिक्षक इन महत्वपूर्ण ढाँचों से अभी भी अपरिचित हैं और क्रॉस-डिसेबिलिटी समावेशन तथा विद्यालय तत्परता कार्यक्रमों का व्यावहारिक क्रियान्वयन बहुत सीमित है। जिन शिक्षकों ने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी रूप से समावेशी शिक्षण प्रथाओं को अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षक जागरूकता और समावेशी क्रियान्वयन के बीच एक सकारात्मक सह-संबंध भी परिलक्षित हुआ। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शिक्षक शिक्षा संस्थानों एवं स्कूल प्रशासन के लिए इस बात का संकेत है कि व्यवस्थित हस्तक्षेप एवं पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुदृढ़ आवश्यकता है, जिससे समावेशी और सतत प्रारंभिक शिक्षा की दिशा में ठोस प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

*पीएच.डी. शोधार्थी, शिक्षा विभाग, मानव रचना विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश 121 012

प्रस्तावना

हाल के वर्षों में भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और हस्तक्षेप के क्षेत्र को नीतिगत स्तर पर विशेष महत्व दिया गया है, जिसमें समावेशी ढाँचे और समग्र विकास मॉडल पर विशेष रूप से बल दिया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी. 2020) जैसी विधायी पहलों ने समावेशी शिक्षा को संवैधानिक और नीतिगत समर्थन प्रदान किया है। तथापि इन प्रयासों के बावजूद, प्रारंभिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की पहुँच, गुणवत्ता तथा प्रभावी कार्यान्वयन में अभी भी उल्लेखनीय असमानताएँ बनी हुई हैं।

पूर्व-सेवा शिक्षक प्रशिक्षण में अभी भी गंभीर कमियाँ देखी जाती हैं, विशेषकर जब प्रशिक्षण का फोकस मुख्यतः सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित रहता है और शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ कार्य करने का पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव नहीं मिल पाता। यद्यपि समावेशी शिक्षा को लेकर विधायी स्तर पर स्पष्ट और दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया है, फिर भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी वास्तविक कार्यान्वयन प्रक्रिया असंगत और असमान बनी हुई है। इस स्थिति के पीछे प्रमुख कारण अपर्याप्त शिक्षक तैयारी तथा प्रणालीगत अवरोध माने जाते हैं।

भारत से परे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों में परिवारों और पेशेवरों के बीच सहयोगात्मक भागीदारी, कानूनी अधिकारों की जटिलताओं की समझ और दिव्यांग बच्चों के सकारात्मक विकासात्मक परिणामों को आकार देने में पारिवारिक-केंद्रित दृष्टिकोणों की भूमिका को अत्यधिक महत्व दिया गया है। किंतु भारतीय संदर्भ में ये आयाम अपेक्षाकृत कम समझे गए हैं और सीमित रूप से क्रियान्वित हुए हैं, विशेषकर यह संदर्भित करते हुए कि पहल (जन्म से 3 वर्ष तक) और निपुण समावेशी (3–8 वर्ष तक) जैसे ढाँचों को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षकों द्वारा किस हद तक समझा और अपनाया जा रहा है।

नीतिगत संकल्प और व्यावहारिक क्रियान्वयन के बीच की विद्यमान दूरी को संबोधित करते हुए, भारत सरकार ने पहल और निपुण समावेशी जैसे समावेशी पाठ्यचर्या ढाँचे तथा पंचकोश आधारित विकास मॉडल को प्रारंभ किया है, जिनका उद्देश्य शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक आयामों में समग्र बाल विकास को सशक्त करना है। तथापि इन प्रयासों के बावजूद, शिक्षकों के मध्य इन ढाँचों के प्रति जागरूकता, सम्यक समझ और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अनुभवजन्य साक्ष्य अभी भी सीमित हैं।

साहित्य समीक्षा

पूर्व में हुए कुछ शोधों में यह पाया गया कि समावेशी शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने के लिए, शिक्षक और अभिभावक दोनों के बीच अधिक प्रभावी संवाद और सहयोग की आवश्यकता है। विभिन्न अध्ययन यह बताते हैं कि समावेशी शिक्षा और हस्तक्षेप में व्यावहारिक प्रशिक्षण, अधिकारों की जागरूकता और परिवार-केंद्रित दृष्टिकोणों की

आवश्यकता है। मिसक्विटा और अन्य (2024) ने भारत में लर्निंग डिसएबिलिटी पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आलोचना की, जिसमें सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर और व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी पाई गई। पाणिग्रही और मलिक (2020) ने एन.ई.पी. 2020 में समावेशी शिक्षा पर किए गए प्रयासों का विश्लेषण किया और असमानताओं की ओर इशारा किया। ब्लू-बैनिंग और अन्य (2004) ने परिवार और पेशेवरों के बीच सहयोगात्मक भागीदारी की कमी को दर्शाया और लेइटर (2004) ने दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों और पेशेवरों के बीच अधिकारों के उपयोग पर चर्चा की।

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था के शिक्षकों के बीच क्रॉस-डिसेबिलिटी, प्रारंभिक हस्तक्षेप तथा विद्यालय तत्परता पाठ्यक्रम रूपरेखाओं के प्रति जागरूकता एवं उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना है। अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं—

- प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षकों के बीच पहल, निपुण समावेशी और पंचकोश जैसे प्रमुख ढाँचों के प्रति जागरूकता के स्तर की जाँच करना।
- शिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक हस्तक्षेप और समावेशी शिक्षा सिद्धांतों से संबंधित औपचारिक प्रशिक्षण का मूल्यांकन करना।
- शिक्षकों द्वारा अपने दैनिक शिक्षण अभ्यासों में इन ढाँचों के पाठ्यक्रम तत्वों के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना।
- यह जाँचना कि शिक्षक समावेशी, गतिविधि-आधारित और समग्र शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी रणनीतियाँ अपनाते हैं, जो कि 21वीं सदी के कौशल और यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग (यू.डी.एल.) सिद्धांतों के अनुरूप हों।
- प्रारंभिक हस्तक्षेप ढाँचों के कार्यान्वयन में परिवार की भागीदारी और सहयोगात्मक योजना निर्माण (जैसे कि व्यक्तिगत प्रारंभिक हस्तक्षेप योजना) की भूमिका का पता लगाना।
- यह पहचानना कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शैक्षणिक प्रथाएँ समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के साथ कितनी संगत या मेल खाती हैं।

शोध की कार्यप्रणाली

अनुसंधान डिजाइन

यह अध्ययन भारत में समावेशी प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखाओं विशेष रूप से— पहल, निपुण समावेशी और पंचकोश रूपरेखा के प्रति प्रारंभिक बालदेखभाल (ई.सी.सी.ई.) के शिक्षकों की जागरूकता और कार्यान्वयन की जाँच के लिए एक मात्रात्मक क्रॉस-सेक्शनल सर्वेक्षण डिजाइन को अपनाता है। अध्ययन का उद्देश्य जागरूकता स्तर, प्रशिक्षण, व्यावहारिक कार्यान्वयन, पारिवारिक सहभागिता और सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के साथ संरेखण से संबंधित छह परिकल्पनाओं का परीक्षण करना है।

सर्वेक्षण डिजाइन को इसलिए चुना गया है, क्योंकि यह किसी भी समय बिंदु पर एक बड़े समूह से स्वयं द्वारा रिपोर्ट किए गए व्यवहारों, धारणाओं और अनुभवों को एकत्र करने में सहायक होता है। इस शोध में उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन विधि का उपयोग किया गया है।

जनसंख्या और सैंपलिंग

इस अध्ययन की लक्षित जनसंख्या भारत में विभिन्न संस्थागत सेटिंग्स जैसे— सरकारी आँगनवाड़ी, निजी प्री-स्कूल, समावेशी विद्यालय, और गैर-सरकारी शैक्षणिक कार्यक्रमों में कार्यरत प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा के शिक्षक (ई.सी.सी.ई.) हैं। प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, नमूना चयन रणनीति ने एक बहु-चरणीय उद्देश्यपूर्ण और स्नोबॉल सैंपलिंग दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें चयनित राज्यों के शहरी, अर्ध-शहरी और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया। सर्वेक्षण के लिए 1175 प्रतिभागियों का नमूना आकार निर्धारित किया गया, जो पावर विश्लेषण मान्यताओं (95 प्रतिशत आत्मविश्वास स्तर, 5 प्रतिशत त्रुटि मार्जिन) पर आधारित था और संभावित गैर-प्रतिक्रिया को ध्यान में रखता था। शिक्षक इस अध्ययन में भाग लेने के पात्र थे यदि उनके पास 0–6 आयु वर्ग के बच्चों के साथ कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो और वे वर्तमान में किसी शैक्षणिक या प्रारंभिक हस्तक्षेप सेटिंग में कार्यरत हों।

उपकरण और प्रश्नावली संरचना

डेटा संग्रह के लिए एक संरचित, स्वयं-प्रशासित प्रश्नावली का उपयोग किया गया, जिसे शोधकर्ता द्वारा राष्ट्रीय नीति दस्तावेजों (जैसे— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत दिशा-निर्देश, पहल मैनुअल, पंचकोश रूपरेखा) और समावेशी शिक्षा एवं विकासात्मक शिक्षाशास्त्र पर आधारित स्वीकृत साहित्य के आधार पर विकसित किया गया था।

प्रश्नावली में दो मुख्य खंड शामिल हैं—

- खंड (क): जागरूकता (10 प्रश्न)— इसमें पहल, निपुण समावेशी, पंचकोश, प्रारंभिक हस्तक्षेप सिद्धांत, स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल, खेल आधारित अधिगम और केयर चक्र जैसे विषयों की जानकारी का मूल्यांकन किया गया है।
- खंड (ख): कार्यान्वयन (10 प्रश्न)— इसमें पाठ्यक्रम कार्यप्रणालियों के प्रयोग, नियोजन उपकरण (जैसे— आई.ई.आई.पी.), सार्वभौमिक डिजाइन फॉर लर्निंग (यू.डी.एल.) सिद्धांत, (एस.डी.जी.) के साथ संरेखण, अवलोकन विधियाँ, और दिव्यांगता के लिए की गई व्यवस्थाओं का आकलन किया गया है।

प्रत्येक प्रश्न एक या एक से अधिक अनुसंधान परिकल्पनाओं से संबद्ध है और बंद-प्रकार के प्रारूपों का उपयोग करता है, जैसे— द्वैविक विकल्प (हाँ/ना), 5 बिंदु लिकर्ट स्केल, बहुविकल्पीय प्रश्न। इस उपकरण की विषयवस्तु वैधता सुनिश्चित करने

हेतु प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और समावेशी शिक्षाशास्त्र के विशेषज्ञों द्वारा इसकी समीक्षा की गई।

वैधता और विश्वसनीयता

प्रश्नावली की वैधता सुनिश्चित करने हेतु इसे विशेष शिक्षा, प्रारंभिक बाल्य देखभाल और पाठ्यक्रम डिजाइन में विशेषज्ञता रखने वाले तीन पेशेवरों द्वारा समीक्षित किया गया। सामग्री वैधता का परीक्षण एक महानगरीय प्री-स्कूलों के 25 शिक्षकों के साथ पायलट अध्ययन के माध्यम से किया गया, जिसके बाद स्पष्टता और प्रसंग-विशिष्टता बढ़ाने हेतु कुछ लघु भाषिक सुधार किए गए।

आंतरिक स्थिरता की विश्वसनीयता का मूल्यांकन क्रॉन्बैक अल्फा के माध्यम से किया गया, विशेष रूप से बहु-आइटम घटकों के लिए जैसे कि—

- जागरूकता ($\alpha = 0.81$)
- कार्यान्वयन ($\alpha = 0.84$)

यह मान स्वीकार्य विश्वसनीयता सीमा को दर्शाते हैं।

डेटा संग्रहण

डेटा संग्रहण छह सप्ताह की अवधि में किया गया, जिसमें ऑनलाइन (गूगल फॉर्म) और ऑफलाइन (पेपर आधारित) दोनों विधियों का प्रयोग किया गया। डिजिटल सर्वेक्षणों को शैक्षणिक नेटवर्क, शिक्षक प्रशिक्षण समूहों और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा मंचों के माध्यम से वितरित किया गया। ऑफलाइन डेटा तीन राज्यों— दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक के स्कूल प्रशासकों और आँगनवाड़ी पर्यवेक्षकों के सहयोग से संकलित किया गया।

सभी प्रतिभागियों की भागीदारी स्वैच्छिक थी, और सर्वेक्षण भरने से पूर्व सूचित सहमति प्राप्त की गई। सभी प्रतिक्रियाओं को गुप्त रखा गया और सुरक्षित रूप से संग्रहित किया गया।

डेटा विश्लेषण

मात्रात्मक आँकड़ों का विश्लेषण एस.पी.एस.एस. संस्करण 27 का उपयोग करके किया गया। निम्नलिखित सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया गया—

- वर्णनात्मक सांख्यिकी— जैसे कि आवृत्तियाँ, माध्य और मानक विचलन का उपयोग शिक्षकों की जागरूकता और क्रियान्वयन स्तरों का सारांश प्रस्तुत करने हेतु किया गया।

'जागरूकता' और 'कार्यान्वयन' के लिए एक समग्र सूचकांक संबंधित प्रश्नावली सूची से प्राप्त सामान्यीकृत स्कोर के आधार पर तैयार किया गया। 5 प्रतिशत से कम अनुपस्थित डेटा को पेयर्वाइज डिलीशन द्वारा प्रबंधित किया गया।

नैतिक विचार

अनुसंधान प्रोटोकॉल की समीक्षा और स्वीकृति संबंधित संस्थान की नैतिक समिति द्वारा की गई। अनुसंधान स्वैच्छिक भागीदारी, गुमनामी और हानि-हीनता के सिद्धांतों का पालन करता है।

प्रतिभागियों को अध्ययन के उद्देश्य, उनकी भागीदारी की स्वैच्छिक प्रकृति और किसी भी समय बिना किसी दंड या प्रभाव के सर्वेक्षण से हटने के उनके अधिकार की पूरी जानकारी दी गई थी।

डेटा विश्लेषण

इस सर्वेक्षण में कुल 1175 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 80 प्रतिशत महिलाएँ थीं, जबकि 20 प्रतिशत पुरुष थे।

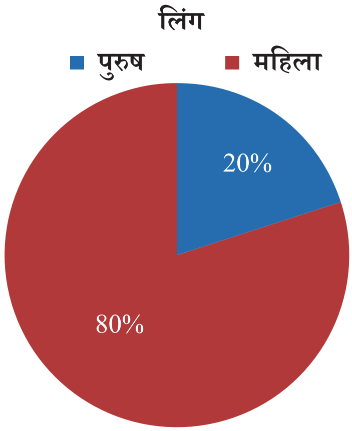

चित्र 1— प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी

चित्र 1 दर्शाता है कि इस अध्ययन में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक रही। इस प्रकार, समावेशी शिक्षा या बाल्यावस्था विकास के क्षेत्र में महिलाओं की अधिक सक्रिय भागीदारी और प्रतिनिधित्व देखा जा सकता है। यह जानकारी दर्शाती है कि जिन क्षेत्रों में बाल विकास और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित नीतियाँ और कार्यक्रम होते हैं, वहाँ महिलाएँ अधिक प्रभावी रूप से शामिल होती हैं, जो इस क्षेत्र की प्राथमिकताओं और कार्यप्रणालियों को आकार देती हैं।

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षकों के बीच पहल, निपुण समावेशी और पंचकोश जैसे प्रमुख ढाँचों के प्रति जागरूकता

इस सर्वेक्षण के परिणामों से यह पता चलता है कि अधिकांश प्रतिभागी विभिन्न प्रारंभिक हस्तक्षेप और

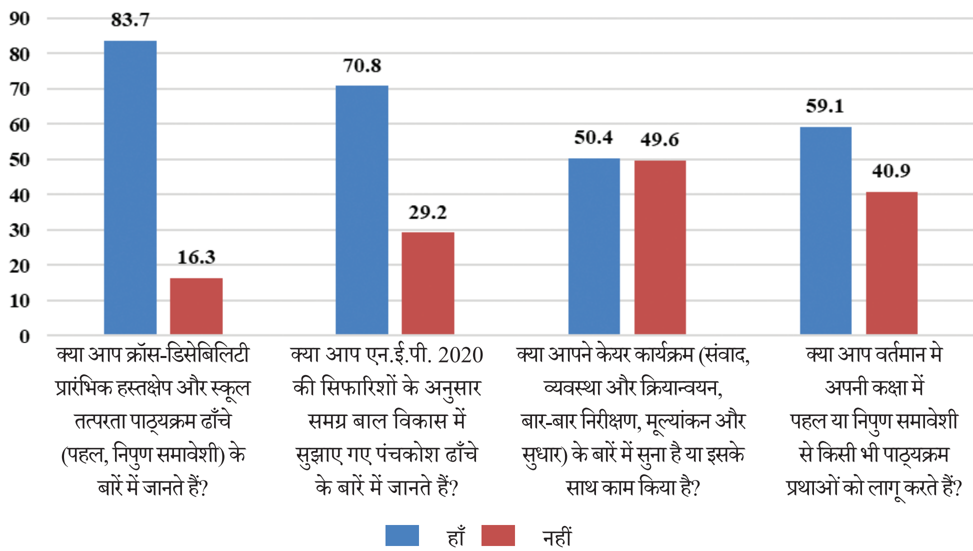

चित्र 2— प्रारंभिक हस्तक्षेप और विद्यालयी तत्परता की जानकारी

स्कूल तत्परता कार्यक्रमों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं (चित्र 2)। उदाहरण के लिए, 83.7 प्रतिशत प्रतिभागियों ने पहल और निपुण समावेशी के बारे में सुना है, जो दर्शाता है कि इन पहलुओं के प्रति जागरूकता अधिक है। हालाँकि, पहल (जन्म से 3 वर्ष तक) जैसे प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों पर केवल 21.3 प्रतिशत प्रतिभागियों ने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो इस क्षेत्र में और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता को दर्शाता है।

एन.ई.पी. 2020 की सिफारिशों के तहत पंचकोश रूपरेखा के बारे में 70.8 प्रतिशत प्रतिभागियों ने जानकारी होने की पुष्टि की, जबकि 29.2 प्रतिशत प्रतिभागियों ने इस बारे में कोई जानकारी न होने की बात कही। इससे स्पष्ट होता है कि पंचकोश रूपरेखा के प्रति जागरूकता में कुछ कमी है, जिसे प्रशिक्षण एवं सूचना के माध्यम से सुधारा जा सकता है।

केयर कार्यक्रम के संदर्भ में, 50.4 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बताया कि उन्होंने इस पर कार्य किया है या इसके बारे में सुना है, जबकि 49.6 प्रतिशत प्रतिभागियों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी।

अधिकांश प्रतिभागी (86.9 प्रतिशत) बच्चों की विकासात्मक प्रगति का नियमित रूप से अवलोकन एवं मूल्यांकन करते हैं, जो उनके शिक्षण कार्य के प्रति गंभीरता और उत्तरदायित्व को दर्शाता है।

समग्र रूप से, इस सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि प्रारंभिक हस्तक्षेप और विद्यालय तत्परता हेतु योजनाएँ बनाना और परिवारों के साथ समन्वय स्थापित करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। 85.2 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बताया कि उनके कार्यक्रम में स्कूल तत्परता के लिए संरचित संक्रमण योजनाएँ बनाई जाती हैं।

इस प्रकार, सर्वेक्षण के निष्कर्ष संकेत करते हैं कि विभिन्न प्राथमिकताओं एवं विषयों को लेकर शिक्षकों के बीच जागरूकता और समझ में वृद्धि हुई है, यद्यपि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं सूचना के विस्तार की अभी भी आवश्यकता महसूस की जा रही है।

शिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक हस्तक्षेप और समावेशी शिक्षा सिद्धांतों से संबंधित औपचारिक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने पर यह पाया गया कि अधिकांश प्रतिभागी प्रारंभिक हस्तक्षेप और समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों से परिचित हैं।

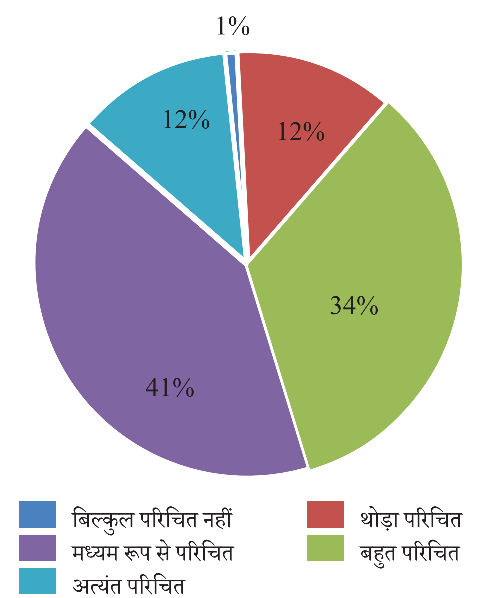

चित्र 3— समावेशी शिक्षा के मार्गदर्शक सिद्धांतों (जैसे विभिन्न सीखने की आवश्यकताओं का सम्मान, प्रारंभिक हस्तक्षेप आदि) से परिचय

सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 40.9 प्रतिशत प्रतिभागी 'बहुत अच्छी तरह से परिचित' हैं तथा 12 प्रतिशत 'अत्यधिक परिचित' हैं, जो यह दर्शाता है कि एक महत्वपूर्ण संख्या को समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का गहन ज्ञान है।

हालाँकि, 34 प्रतिशत प्रतिभागी 'मध्यम रूप से परिचित' हैं और 12 प्रतिशत 'थोड़ा-बहुत परिचित' हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि इन प्रतिभागियों के पास समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों की केवल आधारभूत समझ है, लेकिन गहराई से जानकारी का अभाव है।

इसके अतिरिक्त, 1 प्रतिशत प्रतिभागियों ने 'बिल्कुल भी परिचित नहीं' होने की बात कही, जो इस क्षेत्र में सूचना एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता को दर्शाता है।

कुल मिलाकर, इस डेटा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के प्रति जागरूकता में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है, परंतु अभी भी अधिक संख्या में शिक्षकों एवं शिक्षाकर्मियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि वे इन सिद्धांतों को प्रभावी रूप से अपनी कक्षाओं में लागू कर सकें।

एक बड़ी संख्या (84.8 प्रतिशत) प्रतिभागियों ने यह माना कि वे समावेशी शिक्षा के सभी विकासात्मक क्षेत्रों से परिचित हैं (चित्र 4)। इसका आशय यह है कि अधिकांश शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मियों को शारीरिक विकास, भाषा एवं संप्रेषण, संज्ञानात्मक विकास तथा सामाजिक-भावनात्मक अधिगम जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों की समझ है, जो समावेशी शिक्षा के अनिवार्य अंग हैं।

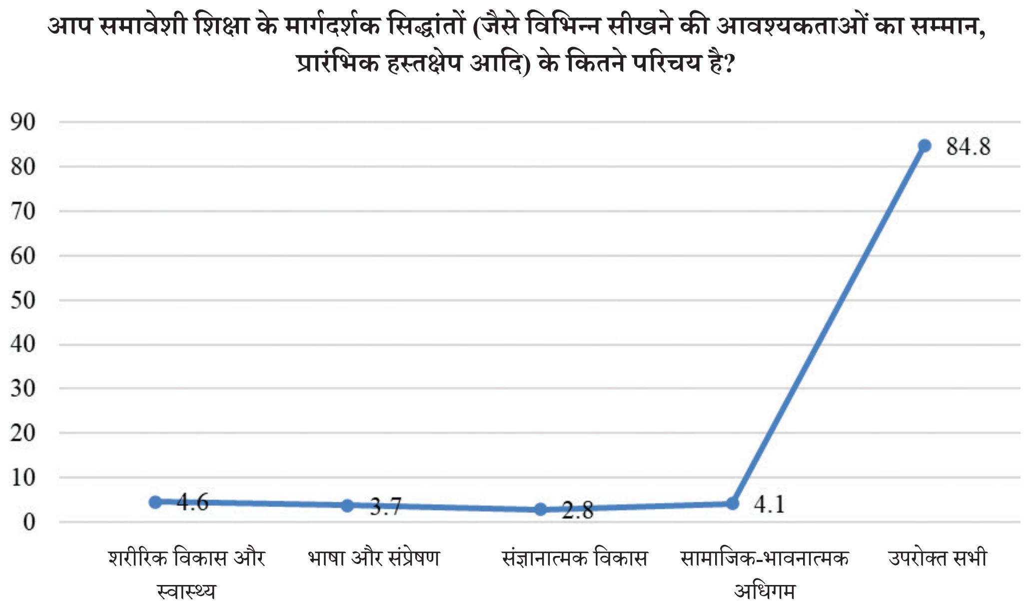

चित्र 4— समावेशी शिक्षा के मार्गदर्शक सिद्धांतों से परिचय

इसके विपरीत, 'सामाजिक-भावनात्मक अधिगम' (4.1 प्रतिशत) तथा 'शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य' (4.6 प्रतिशत) जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के प्रति कुछ हद तक परिचित प्रतिभागियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। 'भाषा एवं संप्रेषण' (3.7 प्रतिशत) तथा 'संज्ञानात्मक विकास' (2.8 प्रतिशत) के संबंध में जानकारी रखने वालों की संख्या और भी कम पाई गई।

इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि समावेशी शिक्षा के कुछ विशिष्ट पहलुओं के प्रति जागरूकता अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि अन्य पहलुओं में प्रशिक्षण एवं जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता बनी हुई है।

विशेष रूप से, 'उपरोक्त सभी' विकल्प के अंतर्गत सर्वाधिक उत्तर प्राप्त होना यह संकेत देता है कि प्रतिभागी समावेशी शिक्षा के सभी विकासात्मक क्षेत्रों को समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं तथा इन्हें एक समग्र दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं।

शिक्षकों द्वारा अपने दैनिक शिक्षण अभ्यासों में इन ढाँचों के पाठ्यक्रम तत्वों के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता

बड़ी संख्या (68 प्रतिशत) में शिक्षकों ने यह बताया है कि वे निपुण समावेशी कार्यक्रम के तहत शामिल सभी आयामों की जानकारी रखते हैं, जैसे— बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान , निपुण गतिविधियाँ आदि। इसका मतलब है कि निपुण समावेशी कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, विस्तारित दक्षताएँ, और निपुण-यू.डी. गतिविधियों का प्रयोग विद्यालय में बच्चों को सीखाने में किया जा रहा है।

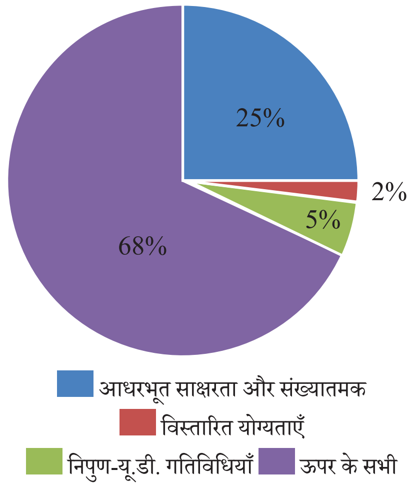

चित्र 5— निपुण समावेशी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों की जानकारी

'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान' (25 प्रतिशत) को एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, जो यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र निपुण समावेशी कार्यक्रम के केंद्र में है और शिक्षा में प्राथमिकता प्राप्त करता है।

'विस्तारित दक्षताएँ' (2 प्रतिशत) और 'निपुण-यू.डी. गतिविधियाँ' (5 प्रतिशत) जैसे क्षेत्र कम प्रतिशत के साथ शामिल हैं, जो यह संकेत करते हैं कि इन क्षेत्रों के बारे में जागरूकता कम हो सकती है।

अधिकांश लोग निपुण समावेशी कार्यक्रम को एक समग्र दृष्टिकोण के रूप में समझते हैं, जिसमें कई प्रमुख तत्व शामिल हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।

विद्यालयी तत्परता (उम्र 3–6 वर्ष) हेतु (निपुण) समावेशी ढाँचे की समझ

अधिकांश प्रतिभागियों ने मध्यम (40.2 प्रतिशत) या अत्यंत अच्छे (26 प्रतिशत) स्तर पर (निपुण) समावेशी ढाँचे की समझ प्रदर्शित की, जो इस ढाँचे के प्रति सामान्य रूप से अच्छी जागरूकता को इंगित करता है। तथापि, 5.4 प्रतिशत प्रतिभागी इससे पूर्णतः अपरिचित पाए गए, जो प्रशिक्षण में लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

सारणी 1— (निपुण) समावेशी ढाँचे की समझ

	प्रतिशत (%)
बिल्कुल नहीं	5.4
थोड़ी बहुत	16.2
मध्यम स्तर पर	40.2
बहुत अच्छी तरह	26.0
अत्यंत अच्छी तरह से	12.2
कुल	**100.0**

प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता प्रक्रिया में परिवार का महत्व— परिवार की भूमिका को अधिकांश प्रतिभागी प्रारंभिक बाल्यावस्था के हस्तक्षेप और विद्यालयी तत्परता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। 55.1 प्रतिशत शिक्षक परिवार की भागीदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण या 38.9 प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप और विद्यालयी तत्परता कार्यक्रमों में परिवार की भूमिका को व्यापक स्वीकृति प्राप्त है और शिक्षा उनका सहयोग ले रहे हैं।

सारणी 2— परिवार की भागीदारी का महत्व

विकल्प	प्रतिशत (%)
बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं	0.3
थोड़ा महत्वपूर्ण	1.5
मध्यम रूप से महत्वपूर्ण	4.2
बहुत महत्वपूर्ण	38.9
अत्यंत महत्वपूर्ण	55.1
कुल	**100.0**

यह ई.सी.सी.ई. नीति, एन.सी.एफ.-एफ.एस. 2022, और एन.ई.पी. 2020 के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसमें पारिवारिक सहभागिता को एक आवश्यक घटक माना गया है।

दैनिक कार्यक्रमों में विकासात्मक आयाम का प्रतिबिंब— अधिकांश प्रतिभागियों ने बताया कि वे अपने कार्यक्रमों में विभिन्न विकासात्मक आयामों, जैसे संप्रेषण, संज्ञान, शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत अधिक (35.1 प्रतिशत) या पूरी तरह (31.1 प्रतिशत) सम्मिलित करते हैं। हालाँकि, 1.9 प्रतिशत ने इसकी पूर्ण अनुपस्थिति बताई जो कि कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता को इंगित करता है।

सारणी 3— प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रमों में विकासात्मक क्षेत्रों के उपयोग

			प्रतिशत (%)
प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रमों में विकासात्मक क्षेत्रों (जैसे संप्रेषण, संज्ञान, शारीरिक स्वास्थ्य) का उपयोग	बिल्कुल नहीं	22	1.9
	थोड़ा	82	7.0
	मध्यम स्तर पर	292	24.9
	बहुत अधिक	413	35.1
	पूरी तरह	366	31.1
	कुल	**1175**	**100.0**

एस.डी.जी. के साथ संरेखण— 42.6 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को *एस.डी.जी.* के साथ अच्छी तरह और 28 प्रतिशत ने पूरी तरह संरेखित बताया। जबकि 1.8 प्रतिशत ने किसी भी प्रकार का मेल नहीं होने की बात कही जो कार्यक्रमों की रणनीतिक दिशा पर पुनर्विचार की आवश्यकता दर्शाता है।

सारणी 4— एस.डी.जी. के साथ संरेखण

विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
बिल्कुल नहीं	21	1.8
थोड़ा	68	5.8
मध्यम स्तर पर	256	21.8
अच्छी तरह मेल खाता है	501	42.6
पूरी तरह मेल खाता है	329	28.0
कुल	**1175**	**100.0**

आपका कार्यक्रम गुणवत्ता शिक्षा, लैंगिक समानता और असमानताओं को कम करने जैसे सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के साथ कितनी हद तक मेल खाता है?

70.6 प्रतिशत शिक्षक मानते हैं कि उनका कार्यक्रम 'अच्छी तरह' या 'पूरी तरह' एस.डी.जी. से मेल खाता है। 21.8 प्रतिशत इसे 'मध्यम स्तर पर' मेल खाता मानते हैं। केवल 7.6 प्रतिशत का मानना है कि मेल बहुत कम या बिल्कुल नहीं है। यह आँकड़े दर्शाते हैं कि अधिकांश प्रतिभागियों के कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के साथ अच्छी संगति रखते हैं जो कि नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में सकारात्मक संकेत है।

21वीं सदी के कौशल और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए गतिविधि-आधारित अधिगम— सर्वेक्षण के आँकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि शिक्षक संप्रेषण, सहयोग और रचनात्मकता जैसे 21वीं सदी के महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने के लिए गतिविधि-आधारित अधिगम को प्राथमिकता दे रहे हैं। 45.7 प्रतिशत शिक्षक हमेशा, 34.2 प्रतिशत अक्सर इस प्रकार के अधिगम में भाग लेते हैं।

यह इंगित करता है कि लगभग 80 प्रतिशत शिक्षक नियमित रूप से अपने शिक्षण में गतिविधि-आधारित रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं, जो समकालीन और समावेशी शिक्षण दृष्टिकोण को अपनाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सारणी 5— 21वीं सदी के कौशलों को बढ़ावा देने के लिए गतिविधि-आधारित अधिगम

		प्रतिशत (%)
21वीं सदी के कौशल जैसे संप्रेषण, सहयोग और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए गतिविधि-आधारित अधिगम	कभी नहीं	1.5
	कभी-कभी ही	2.8
	कभी-कभी	15.7
	अक्सर	34.2
	हमेशा	45.7

दिव्यांग बच्चों के लिए समुचित समायोजन

शिक्षक अपने शिक्षण में दिव्यांग बच्चों के लिए समुचित समायोजन करने के प्रति भी सजग हैं— 43.7 प्रतिशत अक्सर, 29.6 प्रतिशत हमेशा समायोजन करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि 73.3 प्रतिशत शिक्षक समावेशी शिक्षा को अपनाने हेतु सक्रिय प्रयासरत हैं। हालाँकि, यह भी देखा गया कि 2.6 प्रतिशत शिक्षक कभी नहीं, 4.2 प्रतिशत कभी-कभी ही, समायोजन करते हैं, जो इस बात का संकेत हो सकता है कि कुछ शिक्षकों को उचित समायोजन की प्रक्रिया, संसाधनों या प्रशिक्षण की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

सारणी 6

समायोजन की आवृत्ति	प्रतिशत (%)
कभी नहीं	2.6
कभी-कभी ही	4.2
कभी-कभी	19.9
अक्सर	43.7
हमेशा	29.6

पहल द्वारा सुझाई गई रणनीतियों का उपयोग

प्रतिभागियों से पूछा गया कि क्या आप पहल द्वारा सुझाई गई रणनीतियाँ जैसे विकासात्मक प्रारूप, गतिविधियों हेतु दिशानिर्देश, पारिवारिक परिणाम मापदंड का उपयोग करते हैं?

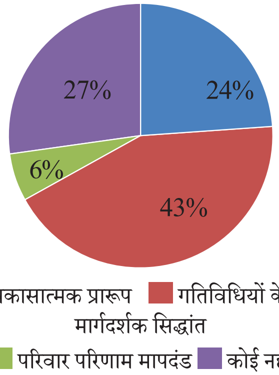

चित्र 6— पहल की रणनीतियों का उपयोग

प्राप्त डेटा से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता गतिविधियों हेतु दिशानिर्देश का पालन करते हैं। इस रणनीति को अन्य विकल्पों की तुलना में सबसे अधिक अपनाया गया है। कुछ लोग (24 प्रतिशत) विकासात्मक प्रारूप का उपयोग करते हैं। पारिवारिक परिणाम मापदंड का उपयोग केवल 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि यह रणनीति अपेक्षाकृत कम इस्तेमाल की जाती है।

साथ ही, 27 प्रतिशत उत्तरदाता किसी भी रणनीति का उपयोग नहीं करते हैं, जो एक महत्वपूर्ण आँकड़ा है और यह संकेत करता है कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पहल की रणनीतियों का प्रभावी रूप से उपयोग नहीं हो रहा है।

पहल के दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है, विशेषकर गतिविधियों के लिए, कुछ अन्य रणनीतियों जैसे पारिवारिक परिणाम मापदंड की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।

यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग (यू.डी.एल.) के सिद्धांतों का प्रयोग

प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग (यू.डी.एल.) की बहुत-सी रणनीतियों का उपयोग किया जाता है, जैसे— लचीले शैक्षणिक संसाधन, विविध अभिव्यक्ति विधियाँ, भावनात्मक संलग्नता तकनीक आदि। संबंधित जानकारी एकत्रित करने पर ज्ञात हुआ कि—

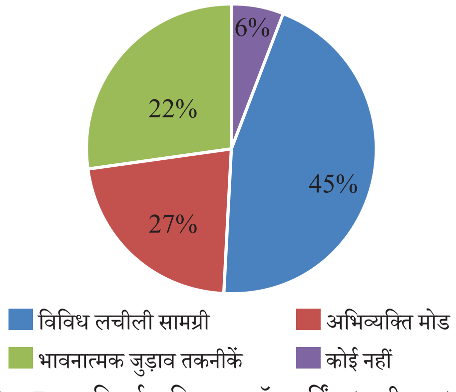

चित्र 7— यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग (यू.डी.एल.) के भाग के रूप में प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न रणनीतियों का उपयोग

सार्वभौमिक अधिगम डिजाइन (यू.डी.एल.) के अंतर्गत प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति और संलग्नता सुनिश्चित करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली रणनीति लचीले शैक्षणिक संसाधन हैं, जिनका उपयोग 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा किया जाता है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा लचीले संसाधनों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये सभी छात्रों के लिए सुलभ और उपयुक्त होते हैं।

दूसरी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली रणनीति विविध अभिव्यक्ति विधियाँ हैं, जिनका उपयोग 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा किया जाता है। यह संकेत करता है कि लोग विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्ति विधियों के माध्यम से छात्रों के विचारों और विचारधाराओं को व्यक्त करने को महत्व देते हैं।

इसके बाद भावनात्मक संलग्नता तकनीक का उपयोग 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा किया गया है, जो यह दर्शाता है कि छात्रों की भावनाओं और जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ ध्यान दिया जा रहा है।

6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई नहीं विकल्प चुना, जो यह संकेत करता है कि कुछ शिक्षक या अभिभावक इन रणनीतियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

यह डेटा दर्शाता है कि लचीले शैक्षणिक संसाधन और विविध अभिव्यक्ति विधियाँ (यू.डी.एल.) के अंतर्गत सबसे प्राथमिक और प्रभावी रणनीतियाँ मानी जाती हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश शिक्षक क्रॉस-डिसेबिलिटी, प्रारंभिक हस्तक्षेप और विद्यालय तत्परता पाठ्यक्रम रूपरेखा (पहल, निपुण समावेशी) के बारे में अच्छी तरह से परिचित हैं और इनकी कार्यान्वयन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। विशेष रूप से, पहल कार्यक्रम और एन.ई.पी.-2020 की सिफारिशों के अनुसार बाल विकास में प्रयुक्त पंचकोश रूपरेखा की जानकारी और उसके अभ्यास का पालन शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है।

शिक्षकों की एक बड़ी संख्या ने इस प्रकार के प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों और समावेशी शिक्षा सिद्धांतों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वे अपनी कक्षा में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए तत्पर हैं। निपुण समावेशी ढाँचा और यू.डी.एस. के तहत सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में शिक्षक समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं।

हालाँकि, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ सुधार की आवश्यकता है, जैसे कि दिव्यांग बच्चों के लिए उचित समायोजन का और अधिक कार्यान्वयन और शिक्षक द्वारा उपयुक्त रणनीतियों का लगातार पालन। इस प्रकार, जबकि शिक्षकों का एक बड़ा हिस्सा समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है, कुछ शिक्षक अभी भी इन कार्यक्रमों के बारे में कम जागरूक या संकोचित हैं।

शिक्षकों की समग्र जागरूकता और प्रशिक्षण को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि

समावेशी शिक्षा को अधिक प्रभावी और व्यापक रूप से लागू किया जा सके। समान अवसर प्रदान करने के लिए समायोजन और रणनीतियों को नियमित रूप से समीक्षा करने की आवश्यकता है।

यह अध्ययन बताता है कि समावेशी शिक्षा की दिशा में उठाए गए कदम सकारात्मक हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि शेष शिक्षकों को इस दिशा में अधिक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

संदर्भ

ट्वीडी, जे. 1989. सामाजिक कार्यक्रमों में ग्राहकों के अधिकारों की दुविधा. *कानून और समाज समीक्षा*. 23(2), पृ.सं. 175–208.

पाणिग्रही, एस.पी. और एन. मलिक. 2020. एन.ई.पी. 2020 में समावेशी शिक्षा का रोडमैप. *जून ख्यात*. 10(3), पृ.सं. 41–47.

बार्बर, आर. 1991. तीर्थयात्री. बॉयडेल एंड ब्रेवर लिमिटेड.

बोगदान, आर., एस. टेलर, बी. डीग्रैंडप्रे. और एस. हेंस. 1974. उन्हें खाने दो कार्यक्रम— राज्य के स्कूलों में वार्डों पर परिचारकों के दृष्टिकोण और प्रोग्रामिंग. *जर्नल ऑफ हेल्थ एंड सोशल बिहेवियर*. पृ.सं. 142–151.

ब्लू-बैनिंग, एम., जे.ए. समर्स, एच.सी. फ्रैंकलैंड, एल.एल. नेल्सन और जी. बीगल. 2004. पारिवारिक और व्यावसायिक साझेदारी के आयाम : सहयोग के लिए रचनात्मक दिशानिर्देश. *असाधारण बच्चे*. 70(2), पृ.सं. 167–184.

मिनो, एम.एल. 1990. *अंदर से बाहर तक न्याय करना*. यू. कोलो. एल. रेव. 61, पृ.सं. 795.

मिस्किटा, आर., ए. पंशीकर और बी. हस्साराम. 2024. भारत में सीखने संबंधी अक्षमताएँ— सेवा-पूर्व शिक्षक विकास प्रथाओं पर एक करीबी नजर. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी*. 12(3), पृ.सं. 125–136.

मैककैन, एम.डब्ल्यू. 1994. कार्यस्थल पर अधिकार— वेतन समानता सुधार और कानूनी लामबंदी की राजनीति. विश्वविद्यालय प्रेस, शिकागो.

रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. 2023. *करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंसन एंड स्कूल रेडीनेस*. रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत सरकार.

लीटर, वी. 2004. माता-पिता की सक्रियता, व्यावसायिक प्रभुत्व और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकलांगता. *विकलांगता अध्ययन त्रैमासिक*. 24(2).

श्नाइडर, बी.ई. 1988. राजनीतिक पीढ़ियाँ और समकालीन महिला आंदोलन. समाजशास्त्रीय जाँच. 58(1), पृ.सं. 4–21.

स्टोन, आर.ए. 1988. संभावित स्रोतों के आस-पास अत्यधिक पर्यावरणीय जोखिमों की जाँच— सांख्यिकीय समस्याएँ और एक प्रस्तावित परीक्षण. मेडिसिन में सांख्यिकी. 7(6), पृ.सं. 649–660.